

14.2.18

फरकती पेश उन्वयन
उपस्थित पीजीसीन अधिकार जी
अल्प... पत्राकली
दिनांक 23.5.18 को पेश हो।

श्री ७
आदेश से रीडर

24.5.18

निम्न म...
निम्न म...
निम्न म...

पत्रावली लोक, उदालत कोर्ट
केम्प अमलीगद पर पेश। वादीया
व प्रतिवादी संवा व २, उपारिपत हज्जर
शजीलामा प्रपव पेश कर अवगत
कराया गया है कि हमारे पिता का
मृत्यु के परचायत हमारे पिता का
नाम की सुमि हमारी माता के
नाम पर कर दी जावे तो हमें कोई
आपत्ति नूछे है।

वादी के तथ्य इस प्रकार है कि
ग्राम रुपालिया पटवार हल्ला अमली
के खता न. 32 के अ. न. 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 202,
208, 210/3, 211, 213, 220/1, 220/2,
221/1, 221/3, 222, 232, 237/1, 241,
242 शुल विला 22 शुल 2काका
19 कीछा 16 बिरवा वतीमान में वादीया
के पति के नाम पर दल है जो वादीया
के पति ने उवल सम्पूर्ण सुमि चल आप
संपत्ति की वसीयत दिनांक 7.10.2015
को वादीया के पस में ~~...~~ गइ।
वादीया के पति दिनांक 09 दिशम्बर
2015 को देहान्त हो गया उनसे

देहान्त के उपरान्त वादीया एवं मान
वादीया होकर उक्त भूमि
पर वादावज होकर उसका उपयोग उपभोग
करती बली आ रही है

अतः उक्त भूमि वी. वासीपत वा. मरुदेन
द्वारा वादीया के द्वारा, 07 अक्टूबर 2015
के लिखित गेट्टे के आधार पर वादीया के
नाम को जावे।

पञ्चावली में परतुत दरतावेजी एवं
राजीवामा का अवलोकन किया गया।

आदेश

अतः लहरीलदार हमीरगढ को
आदेश दिया जाता है कि ग्राम रुपालिया
के आ. नं 180, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 202, 208, 210/3, 211, 213, 220/1, 220/2,
221/1, 221/2, 222, 232, 237/1, 241, 242
किता 22, कुल रवाबा 19.16 बिसवा
भूमि के वादीया के नाम वा. मरुदेन
वी. वासीपत नाम को जावे व मूल्द
प्राप्तापन को जावे कर राजस्व रेकार्ड
में नाम अंजान करे। डिप्टी जारी है

शुर्का कारीबेन अपन-अपन वडन
करे।

आप्त दिनांक, 25.5.2018 को
राजस्व लेव, अदालत के मुफ्त आमलीगढ
मेसरे आम सुनाया गया।

पञ्चावली के शालु शमार होकर
नाम्बर से वेस है।

पोठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

मूल बाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ
~~कोर्ट के माध्यम से आमलीगढ~~

पीठासीन अधिकारी:- रामावतार, आर0ए0एस0

श्रीमती ^{अनुवान} मकबूल उर्फ मकबूली ^{अनुवान} पत्नी कमरुद्दीन मंसूरी
निवासी रुपालिया वादीया

श्री रामजान पुत्र कमरुद्दीन मंसूरी ^{अनुवान} निवासी रुपालिया
" इकबाल मोहम्मद पुत्र कमरुद्दीन मंसूरी " —
तहसीलदार हमीरगढ
उपपंजीयत, —

प्रतिवादीगण

दावा बाबत ११,११,१११ श. नं. ३१

मुकदमा नम्बर :- २२/१७

निर्णय दिनांक :- २५.५.१८

वादी की ओर से श. वं की व प्रतिवादी की ओर से २१५ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख २५.५.१८ को (नाम पीठासीन अधिकारी) रामावतार, आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—


तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिया जाता है कि गाम रुपालिया के अ. नं. १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, २०२, २०४, २१०/३, २११, २१३, २२०/१, २२०/२, २२१/१, २२१/२, २२२, २३२, २३७/१, २४१, २४२, कुल कितना २२ कुल २ कवा १९.१६ विस्वा भूमि को वादीया को नाम कमरुद्दीन की वसियत नामे को जाँच व मृत्यु प्रमाण-पत्र की जाँच कर राजस्व रेकार्ड से नाम अंकन करे।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख २५.५.१८ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख २५.५.१८ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


पीठासीन अधिकारी

लोक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिसहायक कलक्टर हमीरगढ़
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़